न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 27 / 2021

1 दयाकोर स्त्री जागेराम (मृतका दौराने अपील)
2 प्रदीप
3 रामफल पुत्र जागेराम
4 सुनिता पुत्री जागेराम
5 रमेश पुत्र जागेराम
6 हेमराज पुत्र किशनलाल
7 नरपाल पुत्र किशनलाल
8 करण सिंह पुत्र किशनलाल
9 मुख्तयार पुत्र किशनलाल
10 जयपाल पुत्र किशनलाल
11 संजय कुमार पुत्र नन्दराम
12 राजेश पुत्र नन्दराम (मृतक दौराने अपील)
12/1 निशो देवी पत्नी राजेश
12/2 दिशान्त पुत्र राजेश
12/3 इशान्त पुत्र राजेश समस्त जाति जाट निवासीगण नानवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
13 महेश पुत्र नन्दराम
14 मु. मनभरी बेवा नन्दराम
15 मु. वेदकोर पुत्री किशनलाल
16 भतेरी पुत्री किशनलाल (मृतका दौराने अपील)
16/1 श्रीमती बिरमती पुत्री भतेरी पत्नी सतपाल निवासी गुडाना जिला दादरी हरियाणा।
17 रिसालो पुत्री किशनलाल
18 संतोष पुत्री किशनलाल
19 सजना पुत्री किशनलाल
समस्त जाति जाट निवासीगण नानवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
20 घोटा पुत्री किशनलाल (मृतका)
20/1 राजपाल सिंह पुत्री धर्मपाल जाति जाट निवासी गुडाना तहसील बाढड़ा जिला भिवानी हरियाणा।
20/2 सोमवीर सिंह पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी गुडाना तहसील बाढड़ा जिला भिवानी हरियाणा।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

20/3 राजवीर सिंह पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी गुडाना तहसील बाढड़ा जिला भिवानी हरियाणा।
21 ज्ञाना पुत्री किशनलाल जाति जाट निवासी नानवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 चन्दगी पुत्र कुरड़ाराम (मृतका)
1/1 रामसिंह
1/2 दलीप सिंह
1/3 लेखराम
1/4 मनफुल
1/5 रेशमा
1/6 समझो
1/7 बाला
1/8 गुड्डी पिसरान स्व. श्री चन्दगीराम जाति जाट निवासी नानवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
2 रामस्वरूप पुत्र दयाराम (मृतक)
2/1 सांवतराम
2/2 ज्ञानीराम
2/3 होशियार सिंह
2/4 वेदप्रकाश
2/5 मायाकोर
2/6 बिमला
2/7 प्रेम पिसरान स्व. रामस्वरूप जाति जाट निवासी नानवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
3 रामस्वरूप पुत्र रामू
4 नोरंग पुत्र रामू (मृतक)
4/1 धर्मपाल
4/2 भूपसिंह

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

4/3 महावीर
4/4 महीपाल
4/5 मरमण
4/6 शान्ति पिसरान स्व. नौरंग जाति जाट निवासी नानवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
5 सुलतान पुत्र रामू (मृतक)
5/1 ओमप्रकाश पुत्र सुलतान
5/2 सुबेसिंह पुत्र सुलतान
5/3 रतना पुत्री सुलतान
5/4 लिछमा पुत्री सुलतान समस्त जाति जाट निवासी नानवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
6 शेरसिंह पुत्र बदलु
7 विजेन्द्र पुत्र बदलु
8 चन्द्रपाल पुत्र बदलु (मृतक)
8/1 सोनू पुत्र स्व. चन्द्रपाल जाति जाट निवासी नानवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
8/2 सुमित्रा पत्नी स्व. चन्द्रपाल जाति जाट निवासी नानवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
9 जयनारायण पुत्र सुखराम (मृतक)
9/1 चिड़ीया देवी पत्नी स्व. जयनारायण जाति जाट निवासी नानवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं। (नाम हजफ दिनांक 10.06.2025)
9/2 दयानन्द पुत्र स्व. जयनारायण जाति जाट निवासी नानवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
9/3 हवासिंह पुत्र स्व. जयनारायण जाति जाट निवासी नानवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
9/4 मायाकोर पुत्री स्व. जयनारायण जाति जाट निवासी नानवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
9/5 धनपति पुत्री स्व. जयनारायण जाति जाट निवासी नानवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
9/6 संतोष पुत्री स्व. जयनारायण जाति जाट निवासी नानवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
9/7 कोसिला पुत्री स्व. जयनारायण जाति जाट निवासी नानवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

10 मनफुल पुत्र चन्दगी
11 प्रभु पुत्र श्योदान
12 मांगेराम पुत्र चुन्नीलाल
13 जयराम पुत्र गोदा (मृतक)
13/1 बाला पत्नी स्व. जयराम जाति जाट निवासी नानवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
14 रामकिशन पुत्र बिशना
15 रतन पुत्र बिशना
16 कृष्ण पुत्र बिशना (मृतक)
16/1 मुकेश देवी पत्नी कृष्ण
16/2 मोहन पुत्र कृष्ण कुमार
16/3 जितेन्द्र पुत्र कृष्ण कुमार समस्त जाति जाट निवासी नानवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
17 सांवल पुत्र श्योलाल (मृतक)
17/1 हीरालाल पुत्र सांवलराम
17/2 चन्दराम पुत्र सांवलराम
17/3 उमराव पुत्र सांवलराम
17/4 रणवीर पुत्र सांवलराम
17/5 सज्जन सिंह पुत्र सांवलराम
17/6 रूकमा पुत्री सांवलराम
17/7 मरमण पुत्री सांवलराम
18 होशियार सिंह पुत्र चूनिया (मृतक)
18/1 दयाकोर पत्नी होशियार सिंह
18/2 जितेन्द्र पुत्र होशियार सिंह
18/3 हरमेन्द्र पुत्र होशियार सिंह
18/4 रणधीर पुत्र होशियार सिंह
18/5 सुशीला पुत्री होशियार सिंह समस्त जाति जाट निवासी नानवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
19 अमर सिंह पुत्र चूनिया
20 धर्मपाल पुत्र चूनिया (मृतक)
20/1 सुरेश पत्नी धर्मपाल
20/2 विजेन्द्र पुत्र धर्मपाल
समस्त जाति जाट निवासी नानवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

21 रणजीत पुत्र खेता (मृतक)
21/1 कमला देवी पत्नी रणजीत
21/2 बलवीर पुत्र रणजीत
21/3 राजेन्द्र पुत्र रणजीत
21/4 रोशनी पुत्री रणजीत
21/5 अनिता पुत्री रणजीत
21/6 प्रेम पुत्री रणजीत
22 प्रभूराम पुत्र खेता समस्त जाति जाट निवासी नानवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
23 मनरूप पुत्र रामजीलाल (मृतक दौराने अपील)
24 फतेहसिंह पुत्र रामजीलाल
25 शेरसिंह पुत्र रामजीलाल
26 महताब पुत्र रामजीलाल (मृतक)
26/1 रामप्यारी पत्नी महताब
26/2 चरण सिंह पुत्र महताब
26/3 सुशीला पुत्री महताब समस्त जाति जाट निवासी नानवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
27 लेखराम पुत्र रामजीलाल
28 दयानन्द पुत्र रामजीलाल (मृतक)
28/1 मनावती देवी पत्नी दयानन्द
28/2 अमित पुत्र दयानन्द
28/3 आसीत पुत्र दयानन्द
समस्त जाति जाट निवासी नानवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
29 निम्बो देवी पत्नी कृपा
30 फतेहसिंह दत्तक पुत्र कृपा
31 रामचन्द्र सिंह पुत्र गुरूदयाल
32 जगरूप सिंह पुत्र गुरूदयाल (मृतक)
32/1 चान्दकोर पत्नी जगरूप सिंह
32/2 अनुप सिंह पुत्र जगरूप सिंह
32/3 अनिल कुमार पुत्र जगरूप सिंह
33 सुरजभान पुत्र गुरूदयाल
34 सत्यवीर पुत्र गुरूदयाल
35 रणवीर पुत्र गुरूदयाल

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

36 विजय सिंह पुत्र गुरूदयाल
37 हरकेश पुत्र राजवीर
38 दिनेश पुत्र राजवीर
39 मुन्नी बेवा राजवीर सिंह
समस्त जाति जाट निवासी नानवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
40 उप पंजीयक बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
41 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अ. धारा 223 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955
अपील बखिलाफ निर्णय व डिक्री बअदालत उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना मुकदमा उनवानी चन्दगीराम
बनाम जागेराम वगै. तारीख निर्णय व डिक्री 12.07.2010
मु.नं. 05/2010

उपस्थिति :

1. श्री राजेश बागोरिया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 6/4/26

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 05/2010 में पारित निर्णय दिनांक 12.07.2010 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी ने एक वाद घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 112, 113, 81, 82, 122, 123, 125, 132, 280, 124, 300, 302, 303, 326, 332 वाके ग्राम नानवास का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि तनकी संख्या 1 व 4 का निर्णय एक साथ करने में विचारण न्यायालय ने कानूनी भुल की है। दावा में मुख्य विवाद बिन्दु यह रहा है कि किशनलाल केशाराम की गोद का बेटा है और वादी ने यह दर्ज किया कि संवत 2005 में किशनलाल को केशा के गोद दिया गया। दावा मे वादी की तरफ यह भी स्वीकृत रही कि तथाकथित गोर की लिखावट हुई थी। रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने तथाकथित गोद की लिखावट को साबित नहीं किया है। अपीलान्ट की तरफ से गोद जने के तथ्य को इन्कार किया गया है कानून से गोदनामें के बिन्दु को तय करने का क्षेत्राधिकार राजस्व अदालत को नहीं होता है। रेस्पोडेन्ट नं. 1 जब तक सक्षम दिवानी अदालत से किशनलाल को केशाराम का गोद का बेटा होने की घोषणा नहीं करवा लेता तब तक किशनलाल को केशा की दत्तक पुत्र नहीं माना जा सकता। महज राजस्व रिकार्ड के आधार पर किशनलाल को गोद का बेटा मानकर विचारण न्यायालय ने गलती की है। राजस्व रिकार्ड में किशनलाल की वल्दीयत बतौर दत्तक पुत्र हो ऐसा तथ्य भी नही है। तनकी सं. 1 का निर्णय रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पक्ष में और तनकी सं. 4 का निर्णय अपीलान्टस के विरूद्ध करने में विचारण न्यायालय ने गलती की है। विचारण न्यायालय ने अनुमान के आधार पर तनकी सं. 1 व 4 के निर्णय किया है जो गलत है। विचारण न्यायालय ने प्लींडिग के आधार पर तनकीयात कायम नहीं की है। क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर तनकी नहीं कायम कर तथ्य विधिक की भुल की है। तनकी सं. 2 व 3 को अदालत ने एक साथ तक कर तथ्य व विधि की भुल की है और

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उक्त तनकीयात को रेस्पोडेन्टस सं. 1 के पक्ष में निर्णय कर गलती की है। उक्त तनकीयात को साबित करने का आदेश में कोई आधार दर्ज नहीं है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य से यह साबित नहीं किया है कि केशाराम की सम्पत्ति किशनलाल को विरासत के आधार पर प्राप्त हुई हो किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति की सम्पति पर कब्जा होने और राजस्व रिकार्ड में वल्दीयत गलत दर्ज होने से यह नहीं माना जा सकता कि जमीन पर कब्जा विरासत के आधार पर हो। उक्त तनकीयात भी विचारण न्यायालय ने महज अनुमान के आधार पर तय की है जो गलत है। विचारण न्यायालय ने आदेश 20 नियम 5 जा.दी. के प्रावधानों की पालना नहीं की है प्रत्येक तनकी पर व्याख्या सहित अलग अलग निर्णय करने के लिए विचारण न्यायालय बाध्य थी। कानून से जब आदेश 20 नियम 5 जा.दी. के मुताबिक निर्णय पारित नहीं होता है उस सूरत में अवैध निर्णय की तारीफ में आता है। तनकी सं. 5 का निर्णय गलत रूप से पारित किया गया है राजस्व रिकाड्र में केवल मात्र पिता का नाम गलत दर्ज हो जाने से यह नहीं माना जा सकता कि किशनलाल केशाराम का गोद का बेटा है। गोद के तथ्यों को प्रतिवादीगण द्वारा इंकार किया गया था रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा तथाकथित गोर के वक्त 'गिवींग एण्ड टेंकिग'' का दस्तुर हुआ हो इस तथ्य को साबित नहीं किया है। राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रविष्टियों को गोद का आधार नहीं माना जा सकता तथाकथित गोद के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई है। अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 की प्लीडिंग की पुर जोर खण्डन किया है और उक्त खण्डन को साबित किया है। विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार के निर्णय व डिक्री जैर बहस पारित किया है जो खारिज होने योग्य है। तनकी सं. 6 उपर वर्णित अनुसार गलत तय हुई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी ने एक वाद घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 112, 113, 81, 82, 122, 123, 125, 132, 280, 124, 300, 302, 303, 326, 332 वाके ग्राम नानवास का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। विचारण न्यायालय में वाद कथन व जवाब दावे के आधार पर कुल 6 तनकीयात कायम की गई है। विचारण न्यायालय में वादीगण की ओर से राजस्व साक्ष्य अभिलेख में नकल मिलान जमाबंदी संवत 2030—33, सवत 2056—59, संवत 90/1, संवत 2056—59 खाता सं. 80, संवत 2012 खता सं. 1, संवत 2030—33, संवत 2022—25, संवत 2018 खाता सं. 14, संवत 2026—29 खाता सं. 13, संवत 2026—29 खाता सं. 61, संवत 2030—33 खाता सं. 63, संवत 2018 खाता सं. 66, संवत 2022—25 एवं संवत 2056—59 खाता सं. 91 पेश किये तथा मौखिक साक्ष्य में शपथ पत्र चन्दगीराम (पी.डब्ल्यू—1), शपथ पत्र अमर सिंह (पीडब्ल्यू 2) व शपथ पत्र प्रहलाद (पी.डब्ल्यू—3) पेश किये गये तथा प्रतिवादीगण की ओर राजस्व साक्ष्य अभिलेख में नकल लिखावट दिनांक 28.03.79 (प्रदर्श—ए1) नकल जमाबंदी खाता सं. 97 (प्रदर्श—ए2), पास बुक केन्द्रीय सहकारी बैंक कुहाड़वास पेश किये तथा मौखिक साक्ष्य से शपथ पत्र नरपाल सिंह (डी. डब्ल्यू—1), शपथ पत्र प्रदीप (डी.डब्ल्यू—2), शपथ पत्र हेमराज (डी.डब्ल्यू—3) कमलबद्ध करवाये। प्रस्तुत प्रकरण में वादी चन्दगीराम ने अपने पिता कुरड़ाराम की सम्पदा में कुरड़ाराम के पुत्र वादी एवं किशनलाल में किशनलाल के गोद चले जाने पर कुरड़ाराम की 1/2 हिस्से की उद्घोषणा चाही है। किशनलाल श्री कुरड़ाराम का पुत्र ही था। किशनलाल श्री केसाराम के जीवनकाल में ही (प्रतिवादी के जवाब दावा के अनुसार ही) वह उसकी सम्पत्ति पर काबिज हो गया। श्री केशाराम के फौत के बाद किशनलाल ने ही श्री केशाराम का दाह संस्कार पुत्रवत रूप में किया व उसी के पगड़ी आदि की रश्म पुरी की। केसाराम के देहान्त के बाद उसकी

अनिल कुमार II RAS
... अधिकारी एवं
... अपील अधिकारी
... (कैम्प झुन्झुनूं)

भूमि में किशनलाल के नाम पुत्र के रूप में ही उसके नाम दर्ज हुई है। अतः किशनलाल का केशाराम की सम्पूर्ण भूमि व अपने पिता की भूमि में आधी भूमि का रिकार्ड में दर्ज होना अपने आप में संदेहास्पद है क्योंकि बिना किसी विधिक अधिकार या सक्षम न्यायालय के आदेश के केशाराम की सम्पूर्ण भूमि एवं उसके अपने स्वयं के पिता की भूमि में से आधा हिस्सा न्यायोचित प्रतीत नहीं होता बल्कि केशाराम की सम्पूर्ण भूमि अर्जित करने के उपरांत किशनलाल अपने पिता की भूमि में अपना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। केसाराम की सम्पति पर किशनलाल काबिज था। श्री केसाराम की सम्पत्ति किशनलाल के नाम पुत्रवत के रूप में विरासतन आई है व किशनलाल के बाद उसके वारिस इस पर काबिज है। जमाबंदी संवत 2012, 2018, 2022, 2030 व 2059 से यह साबित है कि श्री केसाराम की सम्पत्ति पर पहले किशनलाल काबिज था और अब उसके वारिस काबिज है। किशनलाल को जब श्री केसाराम की सम्पत्ति पुत्र के रूप में प्राप्त हो गई तो वह अपने पिता कुरड़ाराम की सम्पत्ति से किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नही कर सकता। कुरड़ाराम की भूमि में किशनलाल का नाम गलत रूप से दर्ज हो गया। एक व्यक्ति दो पिता की औलाद नहीं हो सकता व दो पिता की सम्पत्ति भी वह अलग–अलग पिता के नाम से प्राप्त नही कर सकता। एक व्यक्ति एक ही जगह का लाभ प्राप्ति कर सकता है। केशाराम की भूमि में केसाराम का पुत्र होना दर्ज है व कुरड़ाराम की सम्पत्ति में कुरड़ाराम का पुत्र होने का अंकन अपने आप में विरोधाभाषी हे। एक व्यक्ति दो पिताओं का पुत्र नहीं हो सकता व ना ही दो जगह अलग–अलग पिता का नाम दर्ज हो सकता है यह तय है कि किशनलाल का नाम केसाराम के पुत्र मे दर्ज है तो उसके अपने पिता की भूमि में कोई अधिकार नहीं रह जाते। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर तनकीयों का निर्धारण कर विचाराधीन निर्णय से वाद डिकी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादी ने एक वाद घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 112, 113, 81, 82, 122, 123, 125, 132, 280, 124, 300, 302, 303, 326, 332 वाके ग्राम नानवास का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया।

विचारण न्यायालय में वाद कथन व अपीलान्ट के पिता के जवाब दावे के आधार पर कुल 6 तनकीयात कायम की गई है। विचारण न्यायालय में वादीगण की ओर से राजस्व साक्ष्य अभिलेख में नकल मिलान जमाबंदी संवत 2030–33, सवत 2056–59, संवत 90/1, संवत 2056–59 खाता सं. 80, संवत 2012 खता सं. 1, संवत 2030–33, संवत 2022–25, संवत 2018 खाता सं. 14, संवत 2026–29 खाता सं. 13, संवत 2026–29 खाता सं. 61, संवत 2030–33 खाता सं. 63, संवत 2018 खाता सं. 66, संवत 2022–25 एवं संवत 2056–59 खाता सं. 91 पेश किये तथा मौखिक साक्ष्य में शपथ पत्र चन्दगीराम (पी.डब्ल्यू–1), शपथ पत्र अमर सिंह (पीडब्ल्यू 2) व शपथ पत्र प्रहलाद (पी.डब्ल्यू–3) पेश किये गये तथा प्रतिवादीगण की ओर राजस्व साक्ष्य अभिलेख में नकल लिखावट दिनांक 28.03.79 (प्रदर्श–ए1) नकल जमाबंदी खाता सं. 97 (प्रदर्श–ए2), पास बुक केन्द्रीय सहकारी बैंक कुहाड़वास पेश किये तथा मौखिक साक्ष्य से शपथ पत्र नरपाल सिंह (डी.डब्ल्यू–1), शपथ पत्र प्रदीप (डी.डब्ल्यू–2), शपथ पत्र हेमराज (डी.डब्ल्यू–3) कमलबद्ध करवाये।

प्रस्तुत प्रकरण में वादी चन्दगीराम ने अपने पिता कुरड़ाराम की सम्पदा में कुरड़ाराम के पुत्र वादी एवं किशनलाल में किशनलाल के गोद चले जाने पर कुरड़ाराम की 1/2 हिस्से की उद्घोषणा चाही है। किशनलाल श्री कुरड़ाराम का पुत्र ही था। किशनलाल श्री केसाराम के जीवनकाल में ही (प्रतिवादी के जवाब दावा के अनुसार ही) वह उसकी सम्पत्ति पर काबिज हो गया। श्री केशाराम के फौत के बाद किशनलाल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

ने ही श्री केशाराम का दाह संस्कार पुत्रवत रूप में किया व उसी के पगड़ी आदि की रश्म पुरी की। केसाराम के देहान्त के बाद उसकी भूमि में किशनलाल के नाम पुत्र के रूप में ही उसके नाम दर्ज हुई है। अतः किशनलाल का केशाराम की सम्पूर्ण भूमि व अपने पिता की भूमि में आधी भूमि का रिकार्ड में दर्ज होना अपने आप में संदेहास्पद है क्योंकि बिना किसी विधिक अधिकार या सक्षम न्यायालय के आदेश के केशाराम की सम्पूर्ण भूमि एवं उसके अपने स्वयं के पिता की भूमि में से आधा हिस्सा न्यायोचित प्रतीत नहीं होता बल्कि केशाराम की सम्पूर्ण भूमि अर्जित करने के उपरांत किशनलाल अपने पिता की भूमि में अपना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

यह स्वीकृत तथ्य है कि गोद का बिन्दु निर्धारण करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है अपितु सिविल न्यायालय को है परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में कायम तनकीयात में गोद के बिन्दु पर न तो कोई तनकी कायम की गई है, न ही विचारण न्यायालय द्वारा कोई निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट के पिता द्वारा विचारण न्यायालय में विस्तृत जवाब दावा पेश किया गया है। जिसका विवेचन कर ही विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित किया गया है।

केसाराम की सम्पति पर किशनलाल काबिज था। श्री केसाराम की सम्पत्ति किशनलाल के नाम पुत्रवत के रूप में विरासतन आई है व किशनलाल के बाद उसके वारिस इस पर काबिज है। जमाबंदी संवत 2012, 2018, 2022, 2030 व 2059 से यह साबित है कि श्री केसाराम की सम्पत्ति पर पहले किशनलाल काबिज था और अब उसके वारिस काबिज है। किशनलाल को जब श्री केसाराम की सम्पत्ति पुत्र के रूप में प्राप्त हो गई तो वह अपने पिता कुरड़ाराम की सम्पत्ति से किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नही कर सकता।

कुरड़ाराम की भूमि में किशनलाल का नाम गलत रूप से दर्ज हो गया। एक व्यक्ति दो पिता की औलाद नहीं हो सकता व दो पिता की सम्पत्ति भी वह अलग–अलग पिता के नाम से प्राप्त नही कर सकता। एक व्यक्ति एक ही जगह का लाभ प्राप्ति कर सकता है। केशाराम की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

भूमि में केसाराम का पुत्र होना दर्ज है व कुरड़ाराम की सम्पत्ति में कुरड़ाराम का पुत्र होने का अंकन अपने आप में विरोधाभाषी है।

एक व्यक्ति दो पिताओं का पुत्र नहीं हो सकता व ना ही दो जगह अलग–अलग पिता का नाम दर्ज हो सकता है यह तय है कि किशनलाल का नाम केसाराम के पुत्र मे दर्ज है तो उसके अपने पिता की भूमि में कोई अधिकार नहीं रह जाते। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर तनकीयों का निर्धारण कर विचाराधीन निर्णय से वाद डिक्री करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है। अपीलान्ट गोदनामें के संदर्भ में सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 6/4/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर